न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 228/2025 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
बाबुलाल पुत्र उतमाराम जाति माली, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1 ओमा पुत्र उतमा 2 कुटला पुत्र उतमा 3 मांगा पुत्र उतमा 4 अगरा पुत्र जोगा 5 आम्बा पुत्र तारा 6 कमला पत्नी भंवरा 7 खेता पुत्र जोगा 8 छगना पुत्र नोजा 9 जगदीश पुत्र दीपाराम 10 देवाराम पुत्र छगनाराम 11 दीनदयाल पुत्र सांवताराम 12 नखताराम पुत्र भंवरा 13 नरपतराम पुत्र भंवरा 14 बाबु पुत्र जोगा 15 भोमाराम पुत्र मूला 16 इन्द्रो पत्नी छगना 17 मगना पुत्र तारा 18 मुल्तानाराम पुत्र भवरा 19 मुली पत्नी दीपाराम 20 मांगा पुत्र उतमा 21 रणछोड़ाराम पुत्र छगना 22 रतना पुत्र तारा 23 राजाराम पुत्र वीरा 24 शैतान पुत्र आसु 25 सूरजदेवी पत्नी सांवताराम 26 सवाईलाल पुत्र सांवताराम 27 हजारीराम पुत्र वीरा 28 मोहनलाल पुत्र पोकरराम 29 दीपाराम पुत्र भंवरा जातियान माली निवासी शिव, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 30 शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शिव 31 राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 23.02.2026

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा शिव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 149, 150, 155, 156 कुल रकबा 4.8417 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102, 114, 115, 116, 90, 91 कुल रकबा 0.8093, खसरा नम्बर 1109/76, 73, 75, 79 कुल रकबा 0.8661 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110/77 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 117, 165, 72, 94, 98 कुल रकबा 1.7968 हैक्टेयर तथा मौजा अम्बावाड़ी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 714/533, 719/737 रकबा क्रमशः 1.5054, 3.7231 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 836/25 रकबा 4.3220 हैक्टेर, खसरा नम्बर 1048/983, 1123/1049 कुल रकबा 0.2404 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 980/25 रकबा 0.1214 हैक्टेयर आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण द्वारा क्रयशुदा एवं विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी में विरासत में प्राप्त भूमि का नामांतरकरण अन्य सहखातेदारान् द्वारा भरवाया गया, जिसमें वादी का गलत घरेलु नाम पता पुत्र उतमा का अंकन करवा दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम बाबुलाल पुत्र उतमाराम है। अन्य क्रयशुदा भूमि में वादी का नाम बाबुराम पुत्र उतमाराम लिखा हुआ है जबकि वादी का [illegible] पुत्र उतमाराम है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए [illegible] में वादी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से उसे सरकारी योजनाओं [illegible] समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस आदि में उनका सही एवं वास्तविक नाम बाबुलाल पुत्र उतमाराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण [illegible] अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की [illegible]णा करवाने का अधिकार [illegible] एवं भूमि के विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम पता पुत्र उतमा व बाबुराम पुत्र उतमाराम के स्थान पर सही नाम बाबुलाल पुत्र उतमाराम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.24 19:15:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी के नाम दुरस्ती के संबंध में तहसीलदार शिव से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव की मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी के विवेचित खसरा नम्बर में वादी का नाम पता पुत्र उतमा व बाबुराम पुत्र उतमाराम दर्ज है जबकि वादी के अन्य समस्त दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड अनुसार एवं मौतबिरान व पड़ौसियों से पुछताछ अनुसार वादी का नाम बाबुलाल पुत्र उतमाराम है तथा पता, बाबुराम एवं बाबूलाल तीनों नाम एक ही व्यक्ति के है। तहसीलदार रिपोर्ट में हल्का पटवारी मौका फर्द अनुसार वादी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम पता, बाबुराम पुत्र उतमाराम के स्थान पर बाबुलाल उर्फ पता पुत्र उतमाराम दर्ज करने की अनुशंषा की गई है।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम पता पुत्र उतमा व बाबुराम पुत्र उतमाराम के स्थान पर सही नाम बाबुलाल पुत्र उतमाराम होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पता पुत्र उतमा व बाबुराम पुत्र उतमाराम दर्ज है, जबकि तहसीलदार तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, पैन कार्ड आदि में वादी का नाम बाबुलाल पुत्र उतमाराम दर्ज है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी के विवेचित खसरा नम्बर में वादी का नाम पता पुत्र उतमा व बाबुराम पुत्र उतमाराम दर्ज है जबकि वादी के अन्य समस्त दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड अनुसार एवं मौतबिरान व पड़ौसियों से पुछताछ अनुसार वादी का नाम बाबुलाल पुत्र उतमाराम है तथा पता, बाबुराम एवं बाबूलाल तीनों नाम एक ही व्यक्ति के है। तहसीलदार रिपोर्ट में हल्का पटवारी मौका फर्द अनुसार वादी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम पता पुत्र उतमा व बाबुराम पुत्र उतमाराम के स्थान पर बाबुलाल उर्फ पता पुत्र उतमाराम दर्ज करने की अनुशंषा की गई है। वादी अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पता पुत्र उतमा व बाबुराम पुत्र उतमाराम के स्थान पर बाबुलाल उर्फ पता पुत्र उतमाराम घोषित किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा शिव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 149, 150, 155, 156 कुल रकबा 4.8417 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102, 114, 115, 116, 90, 91 कुल रकबा 0.8093, खसरा नम्बर 1109/76, 73, 75, 79 कुल रकबा 0.8661 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110/77 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 117, 165, 72, 94, 98 कुल रकबा 1.7968 हैक्टेयर तथा मौजा अम्बावाड़ी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 714/533, 719/737 रकबा क्रमशः 1.5054, 3.7231 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 836/25 रकबा 4.3220 हैक्टेर, खसरा नम्बर 1048/983, 1123/1049 कुल रकबा 0.2404 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 980/25 रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम पता पुत्र उतमा व बाबुराम पुत्र उतमाराम के स्थान पर बाबुलाल उर्फ पता पुत्र उतमाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.24 19:15:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव (बाड़मेर)